

# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

रीफूट ..... बनाम .....  
किस्म मुकदमा ..... 221-2178 ..... मु. नं० ..... 50 ..... वर्ष 2021 .....

दिनांक	आज्ञा पत्र
27-7-21	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 60/2020 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरुद्ध है। यद्यपि अन्तरिम स्थगन आदेश के विरुद्ध इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथापि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। अत आदेश 39 नियम 3 की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण धारा 212 को आगामी दो माह में अन्तिम रूप से निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।</p> <p>(राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर</p>

